अनुलग्नक–1

अवर अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक एवम् जानपद) के वर्ष 2008–2009 में स्थानान्तरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त

(1) सामान्यतः सभी अवर अभियन्ताओं (ई0एण्डएम0 एवम् जानपद) का कुल एक पद/सेक्शन में तीन वर्ष, एक खण्ड में एक/विभिन्न पदों पर कुल सात वर्ष, एक मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर कुल दस वर्ष तथा एक जोन में एक/विभिन्न पदों पर कुल 15 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रखा जायेगा । सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अवर अभियन्ता को पुनः उसी स्थान/मुख्यालय में जहॉ पर पहले कार्य कर चुका है, तीन वर्ष की अवधि से पहले तैनात नहीं किया जायेगा ।

(2) स्थानान्तरण अथवा किसी, अन्य उद्देश्य के लिये कार्यकाल की गणना हेतु कट ऑफ डेट 31 मई, 2008 मानी जायेगी । दिनांक 30 जून, 2008 के उपरान्त कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।

(3) वितरण संगठन के अन्तर्गत जो अवर अभियन्ता जिस सेक्शन में 3 वर्ष तक (एक या अधिक बार में) रह चुके हैं अथवा उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है उन्हें स्थानान्तरण के उपरान्त उसी सेक्शन में पुनः तैनात नहीं किया जायेगा ।

(4) जो अवर अभियन्ता एक या विभिन्न पदों पर एक वितरण जोन में 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें वितरण जोन में तीन वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है । विश्वबैंक संगठन/भण्डार संगठन/कम्प्यूटर बिलिंग/लाइन लासेज सेल एवम् सतर्कता इकाई में व्यतीत किया गया समय वितरण क्षेत्र का माना जायेगा।

(5) यदि वितरण संगठन में कार्यरत् अवर अभियन्ता पारेषण संगठन में अथवा पारेषण संगठन से वितरण में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे पुनः उसी जनपद में जिसमें वह स्थानान्तरण से पहले नियुक्त था, तैनात नहीं किया जायेगा । यह प्रतिबन्ध पाली कार्य एवम् टी0एण्डसी0 एवम् माइक्रोवेव पर लागू नहीं होगा ।

(6) अवर अभियन्ता को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा ।

(7) उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी एक क्षेत्र/संगठन से एक वर्ष में उसके अधीन कार्यरत् अवर अभियन्ता में से लगभग दस प्रतिशत से अधिक अवर अभियन्ता उक्त क्षेत्र/संगठन से स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे । विभिन्न मण्डलों से स्थानान्तरण वरीयता के आधार पर किये जायेंगे । स्थानान्तरण के लिये एक ही

सेक्शन में लम्बे समय से कार्यरत् अवर अभियन्ताओं को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा ।

(8) जिन अवर अभियन्ताओं की वर्तमान तैनाती इस स्थानान्तरण नीति में निर्दिष्ट सिद्धान्तों/प्रतिबन्धों के प्रतिकूल है, उन्हें अपने प्रयास/कार्यकाल की वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा ।

(9) किसी क्षेत्र/संगठन में सरप्लस अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किया जायेगा और इसके लिये कोई न्यूनतम सीमावधि लागू नहीं होगी ।

(10) यदि पति पत्नी दोनों ही कार्पोरेशन की सेवा में हों या सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात हों तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(11) इस स्थानान्तरण सिद्धान्त में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों से वे सभी अवर अभियन्ता मुक्त माने जायेंगे जिन्हें सेवानिवृत्त होने में दो वर्षों से कम का समय शेष रह गया हो अथवा जिन्होंने अपने वर्तमान नियुक्ति पर एक वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है ।

(12) संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अवर अभियन्ताओं की तैनाती संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी ।

(13) दो या अधिक लघु दण्ड अथवा निन्दा प्रविष्टि या एक वृहद दण्ड पाने वाले अवर अभियन्ताओं को वितरण स्कन्ध में संवेदनशील पदों पर कम से कम तीन वर्षों तक तैनात नहीं किया जायेगा ।

(14) किसी अवर अभियन्ता के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चे की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने पर या सम्बन्धित दूसरे अवर अभियन्ता के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकता है बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो ।

(15) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता की तैनाती प्राधिकृत पावर कार्पोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार ऐसे स्थान पर करने का प्रयास किया जायेगा, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो ।

(16) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जायेगा । ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें ।

विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है ।

(17) निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(18) कार्पोरेशन के सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवासंघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवम् सचिव भी सम्मिलित है, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक नहीं किये जायेंगे । यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(19) सभी स्तरों पर साधारणतयाः स्थानान्तरण आदेश यथासंभव 30 जून तक निर्गत हो जाने चाहिए ।

(20) सभी अवर अभियन्ता स्थानान्तरण सिद्धान्तों के अनुसार स्थानान्तरित किये जायेंगे तथापि प्रशासनिक कारणों या कार्पोरेशन की किसी इकाई की आवश्यकता के अनुरूप अथवा किसी पद पर उपयुक्ता को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में पावर कार्पोरेशन/ट्रांसमीशन कार्पोरेशन के कार्यहित में स्थानान्तरण कभी भी सिद्धान्तों से हटकर निर्गत किये जा सकते हैं जिन पर उपरोक्त वर्णित समय सीमा लागू नहीं होगी ।

(21) सम्बन्धित उप महाप्रबन्धक/नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त कराने एवम् कार्यभर स्थानान्तरित कराने से सम्बन्धित स्पष्ट आदेश पारित करेंगे जिसकी प्रति प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लिपिकीय एवं परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2008–2 स्थानान्तरण हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त।

(1) संवेदनशील कर्मचारियों की सीट 03 वर्ष के अन्तराल पर बदल दी जायेगी तथा अन्य मामलों में यह अवधि 05 वर्ष होगी।

(2) एक कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक कर्मचारी की कुल अवधि अधिकतम 15 वर्ष होगी।

(3) स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा ही किये जायेगे।

(4) यदि एक ही स्थान पर एक से अधिक कर्मचारियों का सेवाकाल समान है, तो कम उम्र का कर्मचारी स्थानान्तरण का पात्र होगा ।

(5) प्रशासनिक स्थानान्तरण परिषदीय आदेश संख्या–5238 दिनांक 15.02.93 के अनुसार किये जायेंगे।

(6) उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः न किया जाये जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष से कम अवधि शेष बची है।

(7) यदि पति–पत्नी दोनों ही कारपोरेशन की सेवा में हों या सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात हो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(8) सामान्यतः सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रत्येक वर्ष किये जायेंगे।

(9) किसी क्षेत्र/संगठन में सरप्लस कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जोयगा और इसके लिए कोई न्यूनतम समयावधि लागू नहीं होगी।

(10) संदिग्ध सत्यनिष्ठा के कर्मचारियों की तैनाती संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

(11) दो या अधिक लघु दण्ड अथवा निन्दा प्रविष्टि या एक वृहद् दण्ड पाने वाले कर्मचारियों को वितरण स्कन्ध में संवेदनशील पदों पर कम से कम तीन वर्षों तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(12) किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर एवं दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकता है बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक अपत्ति न हो।

(13) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता की तैनाती प्राधिकृत पावर कारपोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा जहॉ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।

(14) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन वि॰ से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे वि कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरहार्य कारणों से .. किये जायें। विकालांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(15) निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर यात्रा–भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(16) सभी स्तरों पर साधारणतः स्थानान्तरण आदेश यथासम्भव 30 जून, 2008 तक निर्गत हो जाने चाहिए।

(17) सभी कर्मचारी इन स्थानान्तरण सिद्धान्तों के अनुसार स्थानान्तरित किये जायेगें तथापि प्रशासनिक कारणों या कारपोरेशन की किसी इकाई की आवश्यकता के अनुरूप अथवा किसी पद पर उपयुक्ता को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में कारपोरेशन के कार्यहित में स्थानान्तरण कभी भी सिद्धान्तों से हटकर निर्गत किये जा सकते है।

(18) नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब कर्मचारी को कार्यमुक्त कराने एवं कार्यभार स्थानान्तरित कराने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश पारित करेगें जिसकी प्रति सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(19) प्रत्येक विद्युत वितरण खण्ड में कार्यरत् बिल क्लर्क (कार्यालय सहायक श्रेणी–3) जो एक ही सीट पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हो उनका स्थानान्तरण किसी अन्य सीट पर किया जाये।

(20) एक ही क्षेत्र के विभिन्न खण्डों में कार्यरत् बिल क्लर्क (कार्यालय सहायक श्रेणी–3) जो बिल क्लर्क के पद पर कार्य करते हुए 15 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हैं, उनमें से अधिक से अधिक 15% (पन्द्रह प्रतिशत) को उनकी वरिष्ठता (टेन्योर सीनियरिटी) के आधार पर अन्य मण्डलों/खण्डो में स्थानान्तरित किया जाए।

(21) प्रत्येक विद्युत वितरण खण्ड में कार्यरत् बिल क्लर्कस (कार्यालय सहायक श्रेणी–3) के कम से कम 15 प्रतिशत कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (बिल क्लर्क्स) को पद विशेष पर उनकी वरिष्ठता (टेन्योर सीनियरिटी) के आधार पर अन्य खण्डों में स्थानान्तरित किया जाये।

(22) खण्ड/मण्डल कार्यालयों में कार्यरत् कार्यालय सहायको (श्रेणी–II) के कम से कम 15 प्रतिशत को उस खण्ड/मण्डल कार्यालयों में तैनाती अवधि की वरिष्ठतानुसार (टेन्योर सिनियारिटी) अन्य खण्ड/मण्डल में स्थानान्तरित किया जाय।

(23) कारपोरेशन के सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय।

2. <u>तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में।</u>

(1) परिचालकीय वर्ग के वह सभी कर्मचारी जिनकी सेवा एक ही स्थान पर पॉच अथवा सात वर्ष (05 वर्ष संवेदनशील/राजस्व कार्य से जुडे कमचारियों के लिए तथा सात वर्ष साधारणतः) या अधिक हो चुकी हो, स्थानान्तरण के पात्र होंगे। सामान्यतः अधिक समय से कार्यरत कमचारी का स्थानान्तरण पहले किया जाना चाहिए परन्तु यह बाध्यता नहीं होगी।

(2) स्थानान्तरण के लिए अवधि की गणना हेतु कट ऑफ डेट 31 मई, 2008 मानी जायेगी। दिनांक 30 जून, 2008 के उपरान्त कोई स्थानान्तरण नहीं किये जायेगे।

(3) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण यथासम्भव उनके गृह जनपद अथवा खण्ड में ही किये जाये लेकिन उन्हें उस उपखण्ड में तैनात नही किया जायेगा, जिसमें कि उनका गृह स्थान स्थित है।

(4) यदि कोई कर्मचारी गृह जनपद से बाहर तैनात है तो उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थानान्तरण किया जाय।

(5) तृतीय श्रेणी के लिपिक कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त के बिन्दु सं0 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 से 20, 23 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी यथाप्रयोज्य यथावत् लागू होंगे।